



पत्र संख्या-प0नि0 30-22/2018 1748
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
किशनगंज।

पटना, दिनांक- 5/4/2024

विषय :- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 297 दिनांक 02.03.2024 एवं पत्रांक 163 दिनांक 08.02.2024
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रखंड दिघलबैंक ग्राम पंचायत दहीभात, के उप मुखिया एवं प्रखंड ठाकुरगंज ग्राम पंचायत दुधौटी के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4) (2) के अनुरूप नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

65/04/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

23/4/24